

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 27 मई 2013—ज्येष्ठ 6, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 मई 2013

क्र. एफ 3 (9)-2012-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा-13-क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, लोकायुक्त की अनुशंसा पर, एतद्द्वारा, भोपाल संभाग की सतर्कता समिति में, श्री राजेन्द्र सिंह चौहान को सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष तक के लिये नियुक्त करती है.

No. F. 3 (9)-2012-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) of Section 13-A of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhinyam, 1981 the State Government, on the recommendation of the Lokayukta, hereby appoints Shri Rajendra Singh Chouhan as Member in the Divisional Vigilance Committee, Bhopal Division for the period of 3 years from the date of joining.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमर सिंह चंदेल, उपसचिव.